

मासिक

अक्षर वार्ता

ISSN 2349 - 7521
RNI No. MPHIN/2004/14249

INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY
RESEARCH JOURNAL

वर्ष-15 अंक-08, मई - 2019

Vol - XV Issue No VIII May 2019

Impact Factor - 2.891

Email : aksharwartajournal@gmail.com

प्रधान संपादक - प्रो.शैलेन्द्रकुमार शर्मा
shailendrasharma1966@gmail.com

संपादक - डॉ.मोहन वैरागी
drmohan128@gmail.com

संपादक मण्डल - डॉ.जगदीशचन्द्र शर्मा (उज्जैन),

प्रो.राजश्री शर्मा, डॉ. शशि रंजन 'अकेला' (आर.जीपीवी, गोंया),

सहयोगी सम्पादक - डॉ.मोहसिन खान (महाराष्ट्र),

सह सम्पादक - डॉ.भेरुलाल मालवीय, डॉ. अंजली उपाध्याय

डॉ.पराक्रम सिंह, डॉ.रूपाली शारदा, डॉ. डॉ. विदुषी शर्मा, डॉ. मीनिका देवी

प्रबंध संपादक - कृष्णदास वैरागी

शोध-पत्र भेजने संबंधी नियम

शोध-पत्र 2500-5000 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। 6. हिन्दी माध्यम के शोध पत्रों को कुटिदेव 010 (Kruti Dev 010) या युनिकोड मंगल कोट में टाइप करनाकर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भेजें। 7. अंग्रेजी माध्यम के शोध-पत्र टाइम्स न्यू रोमन (Times New Roman) फॉन्टमें कोट (Arial) में टाइप करवाए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भेजें। शोध-पत्र की सॉफ्टकॉपी अक्षरवार्ता के ईमेल पर भेजने के बाद आई कॉपी तथा शोध-पत्र मानिक होने के घोषणा पत्र के साथ हस्ताक्षर कर अक्षरवार्ता के कार्यालय को प्रेषित करें। 8. Please Follow- APA/MLA Style for formatting अक्षरवार्ता का वार्षिक सदस्यता शुल्क रुपये 650/- छ. स्त्री पत्रिका रूपय एवं पत्रिका शुल्क रूपय एक हजार पांच सौ का भुगतान बैंक द्वारा सीधे ट्रांसफर या जमा किया जा सकता है।

बैंक विवरण निम्नानुसार है - बैंक -


Corporation Bank,
Account Holder- Aksharwarta
Current Account NO. 510101003522430
IFSC- CORP0000762,
Branch- Rishi Nagar,Ujjain,MP,India

भुगतान की मुल रसीद,शोध-पत्र एवं सीडी के साथ कार्यालय के पत्र पर भेजना अनिवार्य है।

Email: aksharwartajournal@gmail.com

संपादकीय कार्यालय का पता - संपादक अक्षर वार्ता
43, क्षीर सागर, द्वाविंद मार्ग, उज्जैन, मध. 456006, भारत
फोन :- 0734 2550150 मोबा :- 8989547427




Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College
DURG (C.G.)

अनुक्रम

»	यथार्थ के धरातल पर मानवीय गरिमा के लिए संघर्षरत नारी और चन्द्रकान्ता की कहानियाँ	»	धमतरी जिले के ग्रामीण विकास में जिला प्रशासन की भूमिका का राजनीतिक विश्लेषण
	पवन कुमार रायत 06		कमल नारायण, शोध निर्देशक- डॉ. प्रमोद यादव 50
»	पंडित सुंदरलाल शर्मा और केयूर के साहित्य में शिल्प नम्रता पाण्डेय	»	छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के बाद राजनैतिक व प्रशासनिक विकास में अंतरसंबंध
	निर्देशक- डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति 09		अजय कुमार
»	कहानीकार तेजेन्द्र शर्मा : 'कच का मुनाफा' के विशेष संदर्भ में	»	शोध निर्देशक डॉ. श्रीमती अल्का मेश्राम ✓
	डॉ. रम्या जी एस नायर 12		सह निर्देशक डॉ. श्रीमती वेदवती मंडावी 53
»	राजकमल चौधरी की हिन्दी रचनाओं में विकसित चित्रण की स्थिति	»	रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव 2013 में मतदान व्यवहार पर विकास बनाम भ्रष्टाचार
	कुमारी कांता 14		छतर सिंह डहरे, डॉ. डी. एन. सूर्यवंशी 57
»	स्त्री-अभिव्यक्ति को उजागर करती उपा. प्रियंवदा की कहानियाँ	»	उज्जैन सभाग की कृषि उपज मंडियों के विकास एवं प्रबंधन में मण्डो वार्ड के आचलिक कार्यालय की भूमिका
	डॉ. रीता कुमारी 16		रामकल्या देवड़ा 61
»	सुषम वेदी के उपन्यासों में नारी अस्तित्व का संकट	»	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विकास में मप्र शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का मूल्यांकन
	डॉ. जयश्री एस टी 20		अम्बाराम शिरसोदिया 65
»	मनमोहन सहगल के उपन्यास 'मिले सुर मेरा तुम्हारा' में सांस्कृतिक मूल्य	»	छत्तीसगढ़ में कुपोषण की समस्या का विश्लेषणात्मक अध्ययन
	मंजु वाला 22		डॉ. विजय कुमार साहू, डॉ. भूपेन्द्र कुमार 69
»	वीणा एवं मानसी काव्य की विवेचना	»	छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत क्षेत्रों के विकास में शासन की योजनाओं का विश्लेषण
	विकांत भारकर 25		डॉ. प्रदीप जामुलकर, डॉ. भूपेन्द्र कुमार 72
»	21वीं सदी के संस्मरणों में यथार्थ बोध	»	शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन से बालोद जिले के विकास में जिला प्रशासन की भूमिका का एक राजनीतिक विश्लेषण
	रेशमा तेजियोत 27		रामकृष्ण साहू, डॉ. डी. एन. सूर्यवंशी
»	संजीव की कहानियों में चिंतन के विविध आयाम	»	डॉ. श्रीमती अल्का मेश्राम ✓ 75
	पार्वती कुमारी 29		लोकतंत्र एवं निर्वाचन सुधार
»	नवगीत की परंपरा और शंभूनाथ सिंह की कविताएँ	»	डॉ. प्रदीप जामुलकर, डॉ. डी. एन. सूर्यवंशी 78
	प्रियंका सिंह 33		
»	तीसरी करम : लोक और प्रेम		
	उमेश चन्द्र यादव 36		
»	कुलवंती उपन्यास में जाति और समाज की अभिव्यक्ति		
	राज वहादुर यादव 40		
»	भारत में सूर्योपासना और तीरभुक्ति से प्राप्त कतिपय सूर्य प्रतिमाएं		
	डॉ. सुशान्त कुमार 43		
»	शीतयुद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत-रूस रक्षा संबंध (विशेष संदर्भ : वर्ष 1991 ई. से 2005 ई. तक)		
	विजय सिंह 47		



मासिक अंतरराष्ट्रीय पियर रिव्यू एवं रेफर्ड जर्नल

मई 2019/ अक्षर वार्ता

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College
DURG (C.G.)

धमतरी जिले के ग्रामीण विकास में जिला प्रशासन की भूमिका का राजनीतिक विश्लेषण

कमल नारायण, शोध निर्देशक - डॉ. प्रमोद यादव

शोधार्थी तथै सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान विभाग, एस आर सी एस कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग, छग.

प्रस्तावना :- हमारा देश भारत 200 वर्ष अंग्रेजों का गुलाम रहने के बाद 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। आजादी के बाद भारत की स्थिति विश्व में अत्यंत पिछड़े देश की थी। उस समय हमारा देश गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता, अधविश्वास, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव बिजली, पानी, सड़क आदि समस्याओं से ग्रसित था। आजादी के बाद सन 1951 में भारत में विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएँ बनायी गयीं। इन योजनाओं में भारत के ग्रामीण विकास को भी स्थान दिया गया। तब से अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएँ बन चुकी हैं। अभी वर्तमान में 2012-17 तक बारहवीं पंचवर्षीय योजना गतिमान है।

हमारे देश भारत की लगभग तीन चौथाई आबादी ग्रामीणों में निवास करती है और राष्ट्र तभी समर्थ एवं समृद्ध होगा जब भारत के सभी ग्रामवासी पिछड़ेपन और गरीबी से मुक्त हों। भारत सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में तीव्र तथा स्थायी विकास लाने के लिए कटिबद्ध है जिसे 16 अक्टूबर 1999 को भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में दोहराते हुए कहा था- भारत को एक ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो देश के गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुँच सके।

भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय ऐसी अनेक योजनाएँ कार्यान्वित कर रहा है जिनका उद्देश्य ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। इन योजनाओं का उद्देश्य गरीबी का पूर्ण रूप से उन्मूलन तथा तीव्र सामाजिक, आर्थिक विकास करना है। तदनुसार समाज के अत्यंत उपेक्षित लोगों पर केंद्रित बहुआयामी नीति के माध्यम से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तुनिष्ठ आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन लाना है। ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल, ग्रामीण बंधर लोगों को घर तथा सगी ग्रामों को ग्रामीण सड़कों से जोड़ने की उच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

भारतीय संविधान के नीचे परिच्छेद के अनुसार समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों की स्थापना आवश्यक है। संवैधानिक पंचायतों की स्थापना 73वें संशोधन के बाद 1993 से प्रारंभ हुई है। इसके पूर्व ग्रामीण भारत में पंचायतों का इतिहास बहुत लम्बा रहा है, जिसका ब्रिटिश शासनकाल में परिवर्तित रूप से विकास हुआ तथा 1947 के पश्चात् स्वतंत्र भारत में पंचायतों राज संस्थाओं के नाम से विकास यात्रा 1959 में प्रारंभ हुई।

भारतीय संविधान द्वारा पंचायतों की स्थापना ग्राम भव्यस्थ व जिला स्तर पर करने का प्रावधान किया गया जहाँ भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषक है अथवा कृषि से संबंधित कार्यों से जीवन थापन करती है। भारत की ग्रामीण जनसंख्या की जीवन शैली, संस्कृति व परम्पराएँ कई हजार वर्ष पुरानी है तथा उनमें राजनीति का व्यवस्थित स्वरूप नगण्य है। प्राचीन भारत के शासकों से लेकर मुगल शासकों तक भारतीय शासन

व्यवस्था बड़े शहरों में दुर्गों व राजप्रसारी में सिमटी रही तथा अधिकांश ग्रामीण निचारी राज के विना कलाओं से अलग ही रहे, जैसा कि कुछ अंग्रेज प्रशासकों ने उन्हीं शहरों में अपने सामंजस्य, प्रशासनिक प्रतिवेदनो व दस्तावेजों में विशेष विचार था। लोकमान की धारा 243 के अंतर्गत आज यह सम्पूर्ण ग्रामीण जनसंख्या पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद की संस्थागत व्यवस्था की राजनीति में समाहित हो गई है।

पंचायती राज का व्यवस्था है जो लोकतंत्र को सामान्यजन के घर के दरवाजे तक पहुँचाने का माध्यम है। ग्रामीण विकास को गतिमान बनाने एवं लोकतंत्र के विकेंद्रिकरण का प्रयास माध्यम पंचायतों राज को माना जाता है। पंचायती राज का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन को स्थापित करना है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्र पहले ग्रामीण केंद्रित होता था, अभी वह ग्रामीण केंद्रित नहीं है। आज हम छत्तीसगढ़ के विकास की बात करते हैं तब हमें औद्योगिकीकरण, शहरीकरण आदि की बात न कर हमें गाँवों के विकास की बात करनी चाहिए। धमतरी जिला एक ग्रामीण क्षेत्र प्रधान जिला है। इस क्षेत्र में लोग और वनों पर आधारित ग्राम फैले हुए हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि ग्रामों का विकास ही धमतरी जिले का वारंशिक विकास है। ग्रामीण विकास ही छत्तीसगढ़ का विकास है।

ग्रामीण विकास निम्नलिखित अकारणों का सफलता है -

1. ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का प्रावधान, पानी के पानी के साथ स्वच्छता का संचालन, स्वास्थ्य सुविधाएँ, सड़क, विद्युतीकरण आदि।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता में सुधार।
3. सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सामाजिक सेवाओं का प्रावधान।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों को रक्षण देने के लिए योजनाएँ लागू करना।
5. गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व वंचितता पीड़ितों को स्व-सहायता समूह के माध्यम से क्रेडिट और मददगारों के द्वारा उत्पादक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए सहायता।

जिला प्रशासन :- भारत में क्षेत्रीय प्रशासन की भूल इकाई जिला होती है। जिला अपने आप में सम्पूर्ण प्रशासनिक संस्था है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण एवं बड़े-बड़े संस्था से उभर कर प्रशासनिक आविष्कारों के कारण सारे देश का मुद्राण्ड को प्रशासनिक रूप से संक्षम इन छोटी-छोटी इकाईयों में बाँटा गया है। इस समय भारत में 500 के लगभग जिले हैं जो जनता के प्रशासनिक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

खेड़ा द्वारा उद्धृत जिले/का शब्दिक अर्थ है विशेष प्रशासनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निश्चित किया गया एक भूखण्ड। इस तरह से जिला



प्रशासन का अर्थ हुआ एक विशेष क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यों का प्रबन्ध करना। दूसरे शब्दों में जिला प्रशासन राज्य प्रशासन का वह भाग है जो एक जिले की क्षेत्रीय सीमा के भीतर कार्य करता है। चूंकि जिला एक ऐसी अत्यधिक सख्त भौगोलिक इकाई है जहां सार्वजनिक प्रशासन के समस्त उपकरण केन्द्रित किए जा सकते हैं इसलिए जिला प्रशासन सार्वजनिक मामलों के प्रबन्ध में सर्वतोमुखी कार्य करता है। भारत में राज्य सरकारें ही प्रशासनिक सुविधा को सम्मुख रखते हुए जिलों का निर्माण करती हैं।

अतः जिला प्रशासन सरकार की वह सम्पूर्ण कार्यवाही कहनी जा सकती है जो निश्चित क्षेत्र में की जाती है। जिसे राज्य सरकार द्वारा जिला माना जाता है।

जिला प्रशासन का कार्य: जिला प्रशासन जिसका मुखिया जिलाधीश होता है निम्नलिखित कार्य करती है-

1. कानून एवं व्यवस्था का अनुसरण।
2. भू-राजस्व की उगाही।
3. कार्यपालिका संबंधी कार्य।
4. विकास कार्य।
5. स्थानीय निकायों से सम्बद्ध कार्य।
6. विविध कार्य।

प्रस्तावित शोध प्रबंध में छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले के ग्रामीण विकास में जिला प्रशासन की भूमिका का राजनीतिक विश्लेषण किया जाएगा।

अध्ययन क्षेत्र धमतरी जिले का सांक्षिप्त परिचय:- धमतरी जिले की स्थापना 6 जुलाई 1998 को हुआ तथा इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 4081.93 वर्ग किलोमीटर है। धमतरी जिला 20°-2'-30" से 21°-1'-32" अक्षांश तथा 81°-23'-17" से 82°-10'-35" देशांश के मध्य स्थित है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 1372.5 मिली लीटर होता है। अधिकतम तापमान मई माह में 44 सेन्टीग्रेट न्यूनतम तापमान 8.6 सेन्टीग्रेट रहता है। धमतरी जिला को रायपुर, कांकेर, बालोद, गरियादत जिले की सीमाएँ स्पर्श करती है। यह दो लोकसभा क्षेत्र कांकेर व महासमुद तथा तीन विधानसभा क्षेत्र सिहावा (56), कुरुद (57), धमतरी (58) में बंटा हुआ है। धमतरी जिले में चार विकास खण्ड धमतरी, कुरुद, नगरी, मंगरलौड, 352 ग्राम पंचायत, 637 आबाद गाँव, 96 वन ग्राम हैं। यहाँ केवल एक नगर निगम धमतरी है। नगर पालिका एक भी नहीं है। नगर पंचायतों की संख्या 5 है। 2011 की जनगणना के अनुसार धमतरी जिले की कुल जनसंख्या 799781 है जिसमें 397897 पुरुष तथा 401884 महिला है। 58581 अनुसूचित जाति के तथा 207633 अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। यहाँ की साक्षरता 78.36 प्रतिशत है। 87.78 प्रतिशत पुरुष और 69.08 प्रतिशत महिलाएँ साक्षर हैं। गोड, कचर, हन्वा, कमार यहाँ की प्रमुख जनजाति है तथा हिन्दी और छत्तीसगढ़ी बोली प्रचलित है। 58849 हेक्टर में रबी फसल, 133362 हेक्टर में खरीफ की फसल व 13602 हेक्टर में जायद की फसल लिया जाता है। प्रमुख फसल धान है। 103864 हेक्टर में (निरा क्षेत्रफल) सिंचित क्षेत्र है।

प्रमुख शैक्षणिक संस्थान में श्रीमदश्रीव पवार शासकीय पब्लिक कॉलेज - कुरुद, धमतरी, पी. जी. कॉलेज धमतरी, शासकीय महाविद्यालय, नगरी, कुरुद, भद्रद्वारा, मंगरलौड तथा जैतीगढ़ प्रादेशिक संस्थाओं में धमतरी, कुरुद, मंगरलौड प्रमुख हैं। जिला प्रशासन एवं ग्रामीण संस्थान, नगरी में स्थित है।

यहाँ का प्रमुख खनिज रेत, मुरुम, गिट्टी, पत्थर तथा प्रमुख वनोपज तेंदूपत्रा, सालबीज, लाख, हरी है। धमतरी जिले में 100 से अधिक शॉइस मिलें, लाख उद्योग, वनोपधि प्रसंस्करण दुगली, फार्मास्युटिकल उद्योग, ईशा पॉवर प्लांट बंजारी, कुरुद में स्थित है।

अध्ययन विषय का प्रशासनिक एवं राजनीतिक महत्व:- 6 जुलाई 1998 को धमतरी जिले का गठन हुआ तथा 1 नवम्बर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापित हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य का 76.76 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है तथा राज्य निर्माण के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण विकास की गति को जानना आवश्यक है तथा जिला प्रशासन की इसमें क्या भूमिका है? इसका राजनीतिक विश्लेषण आवश्यक है ताकि यह जाना जा सके कि ग्रामीण विकास में जिला प्रशासन की भूमिका पर राजनीति का कितना प्रभाव पड़ा है।

ग्रामीण विकास में जिला प्रशासन की भूमिका का राजनीतिक विश्लेषण से निम्नलिखित बातें निकलकर सामने आ सकती है -


1. ग्रामीण विकास में जिला प्रशासन की भूमिका का ज्ञान होगा।
 2. ग्रामीण विकास में जिला प्रशासन की भूमिका किस हद तक राजनीति से प्रभावित होती है की जानकारी होगी।
 3. ग्रामीण विकास के लिए नीतियां बनाने में सहायता मिलेगी।
- उपरोक्त बिन्दु प्रस्तावित शोध का प्रशासनिक एवं राजनीतिक महत्व को स्पष्ट करते हैं।

शोध कार्य का पुनरावलोकन:-

1. देवेंद्र कुमार (2014) ने रोल ऑफ़ जिला प्रशासन में ग्रामीण विकास को देखते हुए कुरुद जिले का अध्ययन किया है। यह विभिन्न एन.जी.ओ. का तुलनात्मक अध्ययन है।
2. राजेश्वर सिंह बरथी (2016) ने कुरुद जिले के ग्रामीण विकास में नौकरशाही की भूमिका का अध्ययन किया है। इसमें यह बताया गया है कि ग्रामीण विकास नौकरशाही और ग्रामीण अभिजन से किस प्रकार प्रभावित होती है।
3. जीशन वारसी (2016) ने द रोल ऑफ़ ग्रामीण विकास में नौकरशाही की भूमिका का अध्ययन किया है। इसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार विकास की नीतियां नौकरशाही के रूप में आसित रहती हैं।

अध्ययन का उद्देश्य-चयनित शोध का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण विकास में जिला प्रशासन की भूमिका का राजनीतिक विश्लेषण, धमतरी जिले के संदर्भ में करना है।

1. राज्य एवं राज्य सरकार की जिले में सक्रियता की जांच के प्रभाव का अध्ययन करना।
2. जिला प्रशासन का ग्रामीण विकास में क्या भूमिका रहती है।
3. क्या जिला प्रशासन के माध्यम से ग्रामीण जनता अपनी समस्याओं को खटाव मिल कर पाती है?
4. क्या ग्रामीण विकास में जिला प्रशासन की भूमिका पर राजनीति का प्रभाव



मई 2019 अक्षर वार्ता
Principal
Seth R.C.S. Arts & Com
College Durg (C.G.)

पड़ा है ?

शोध की संभावित परिकल्पना:- शोध की एक पूर्व कल्पना होती है और उसी के माध्यम से एक शोधकर्ता आगे कार्य करता है मेरे द्वारा चयनित इस शोध रूपरेखा में मेरी उपकल्पना है जिला प्रशासन धमतरी द्वारा किए जा रहे प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों तथा विकास में उसकी भूमिका का निष्पक्ष मूल्यांकन कर प्रशासनिक व्यवस्था के बेहतर निष्पादन हेतु क्या-क्या प्रयास किए जा सकते हैं।

प्रस्तुत शोध की रूपरेखा के अंतर्गत परिकल्पना को सम्मिलित किया गया है जो इस प्रकार है:-

1. धमतरी जिला के ग्रामीण क्षेत्र की जनता को जिला प्रशासन का सम्पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है।
 2. जिला के ग्रामीण विकास में अपना योगदान देने के लिए जिला प्रशासन को कई राजनीतिक सहयोग की आवश्यकता पड़ती है।
 3. जिला प्रशासन राज्य के विकास में अपनी भूमिका निभा रहा है, किन्तु कई क्षेत्रों में यह अब भी कुछ सीमा तक ही प्रभावी है।
 4. जिला प्रशासन के माध्यम से जनता को अपनी समस्याओं के समाधान हेतु बहुत सी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।
 5. जिला प्रशासन से जनता में राजनीतिक घेतना का विकास हुआ है।
- अध्ययन की पद्धति:-** प्रस्तावित शोध हेतु सामग्री एवं सूचना का संकलन दो प्रकार से किया जाएगा-

(1) प्राथमिक स्रोत

(2) द्वितीयक स्रोत

प्रस्तुत शोध रूपरेखा को पूर्ण करने में शोध पद्धति के अंतर्गत मुख्य रूप से दो विधियों या स्रोतों का सहयोग प्राप्त किया गया। जो सामाजिक वैज्ञान विषयों के अध्ययन हेतु प्रयुक्त किया जाता है।

1) प्राथमिक स्रोत:- अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत अपने वांछी समस्याओं के कारण व निवारण हेतु मौखिक जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नानुसार अध्ययन किया जावेगा।

अ) प्रश्नावली/साक्षात्कार - देव निदर्शन के द्वारा 300 उत्तरदाताओं का आयन किया जायेगा तथा प्रश्नावली तैयार कर अध्ययन क्षेत्र के चयनित 300 उत्तरदाताओं जिसमें जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं अन्य पत्रिकों से अभिमत प्राप्त कर विश्लेषण किया जावेगा।

ब) निदर्शन - समय में से कुछ इकाईयों को अध्ययन हेतु प्रतिनिधि के रूप चुनना निदर्शन कहलाता है। निदर्शन द्वारा अध्ययन विषय के बारे में हमारे फर्क कितने यथार्थ एवं वैज्ञानिक होंगे यह इस बात पर निर्भर करता है कि तारा निदर्शन कितना उत्तम व समय का प्रतिनिधित्व करने वाला है। अतः व्ययन की सफलता के लिए यह आवश्यक है हमारे निदर्शन समय का प्रतिनिधित्व करने का गुण पर्याप्त आकार, निष्पक्षता, साधनों के अनुरूप, श्यों के अनुरूप व्यवहारिक तथ्यों पर आधारित तथा स्वतंत्र हो। प्रस्तुत रूपरेखा में तथ्य संकलन हेतु निदर्शन पद्धति का प्रयोग किया जावेगा।

ग) अवलोकन - घटनाओं को सूक्ष्म रूप से देखना ही अवलोकन है। सी.ए. वर के अनुसार दोस अर्थों में अवलोकन में कानो तथा वाणी की अपेक्षा के प्रयोग की स्वतंत्रता है।

प्रस्तुत शोध परियोजना में घटना स्थल पर प्रत्यक्ष रूप से जाकर स्थिति का अवलोकन कर जानकारी प्राप्त की जावेगी।

द) सर्वेक्षण - शोध क्षेत्र में भ्रमण कर सूचनादाताओं से प्रत्यक्ष सम्पर्क कर

चारों विकासखण्डों धमतरी, कुरुद, मगरलोड, नगरी वहां के रहने वाले लोगों, जिला पंचायत सदस्यों, जनपद पंचायत सदस्यों, पंच, अधिकारी व कर्मचारी, जनप्रतिनिधियों से अवलोकन व सर्वेक्षण विधि से तथ्य संकलित किया जावेगा।

ई-विश्लेषण: 300 चयनित उत्तरदाताओं से प्राप्त अभिमत के आधार पर उनका विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाला जावेगा।

(2) द्वितीयक स्रोत:- द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत प्रकाशित प्रलेख, शोध-संस्थाओं के प्रतिवेदन, पत्र-पत्रिकाएँ, पाठ्य-पुस्तक तथा शासन द्वारा समय-समय पर विभिन्न योजनाओं से संबंधित सभी प्रकाशित सामग्री, समाचार पत्र, वेबसाइट, पूर्व की वार्षिक रिपोर्टों का अध्ययन किया जावेगा। तथ्यों का संकलन- उपर्युक्त विभिन्न प्रणालियों के अंतर्गत शोध विषय हेतु आवश्यक तथ्यों का संकलन किया जाएगा एवं संकलन करने के पश्चात् निष्कर्ष निकाला जाएगा।


निष्कर्ष- छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी के द्वारा विकास के लिए सक्रामिक प्रयास किया गया तत्पश्चात् 2002 के सत्ता परिवर्तन के बाद प्रदेश के नये मुखिया डॉ. रामन सिंह ने प्रदेश की सामान्य स्थानीय और प्रदेश का विकास की दिशा में अग्रसर किया और अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में साक्ष्य सरकार द्वारा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लागू कर विकास को बढ़ावा दिया। सन् 2012 के दिवस सत्ता परिवर्तन में पुनः सत्ता परिवर्तन हुआ और प्रदेश के कार्यभार को सरकार वनो और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में एक अभिनव योजना की शुरुवात की जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ की प्राचीन धरोहर को पुनः सुजिज करने की शुरुवात कर सरकार सरकार पुनः पुनः वापसी को एक सूत्र में बंधने का प्रयास शुरू किया सन् 11 विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू कर जिला विकास के लिए प्रयास किया सत्ता परिवर्तन से पहले है जिसके लिए जिले में केंद्र व राज्य सरकार की सभी योजनाओं को जिला प्रशासक के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। जिले में समय विकास के लिए यह आवश्यक है कि जिला कौनो भी विकास को परिष्कार करना है और शासन के विभिन्न योजनाओं को जिले के प्रत्यक्ष क्रियान्वित करने में समान रूप से संचालित करना होगा तभी जिले का संपूर्ण विकास संभव है।

सूझाव

- 1) जिले में विकास के लिए विकासखण्डों को लेकर जिले तक निरंतर क्रियान्वित कार्यों का निष्पक्ष करने की आवश्यकता है।
- 2) जिले में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए शिक्षा के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना।
- 3) केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रत्यक्ष स्तर पर हर एक जिलेवासी तक पहुँचाने का प्रयास प्रशासन द्वारा किया जाना चाहिए।

संदर्भ सूची:-

1. एन.टी. विश्वकोष, समाहित, माधवो स्वर्गीय इन कम्यूनिटी डेवलपमेंट, वर्णनाय शाल एण्ड कोऑपरेटिव, नई दिल्ली, नवंबर, 1998
2. छत्तीसगढ़ का सांख्यिकी संक्षेप, आर्थिक एवं सांख्यिकी सचालनालय छत्तीसगढ़ शासन, 2012-13
3. छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में, आर्थिक एवं सांख्यिकी सचालनालय छत्तीसगढ़ शासन, 2015
4. एन.सी.एस. अंक-09, जुलाई 2015
5. एन.सी.एस. अंक-10, अप्रैल 2014
6. डेप्यु. ए. - पंचायती राज इन इंडिया, कर्नाट, एशिया पर्सिपेरिंग हाऊस, 19



सांख्यिकी आंतरराष्ट्रीय विषय रिप्लूड एवं रेफर्ड जर्नल

मई 2019/ अक्षर वार्ता

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm.
College Durg (C.G.)